वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
Council of Scientific and Industrial Research
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. : 5-1(70)/2009-PD | दिनांक/Dated : 23.04.2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.01.2026 से प्रभावी के संबंध में ।

Sub : Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees - effective from 01.01.2026 –reg.

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी दिनांक 22 अप्रैल, 2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1(i)/2026-ई.II(बी) को सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

The undersigned is directed to state that the Competent Authority has accorded approval to forward the Office Memorandum No. 1/1(i)/2026-E.II(B) dated 22nd April, 2026 on the above subject issued by Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India, to all CSIR Labs./Instts./Units for information, guidance and compliance.

सुरेन्द्र कुमार/Surender Kumar)
व. उप सचिव (नीति प्रभाग)/Sr. Deputy Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units
2) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website
3) कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 1/1(i)2026-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली

दिनांक: 22 अप्रैल, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.01.2026 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 06 अक्तूबर, 2025 के का.ज्ञा. सं. 1/4(i)/2025-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को **01 जनवरी, 2026** से मूल वेतन के **58% से बढ़ाकर 60%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

स.कु.दास

(समीर कुमार दास)

उप सचिव, भारत सरकार

☎ 011 2401 2048

सेवा में ,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः **नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।**

No. 1/1(i)/2026-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

Kartavya Bhavan-1, New Delhi.
Dated the 22nd April, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2026.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4(i)/2025-E.II(B) dated 6th October, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **58% to 60% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2026.**

2. The term 'Basic Pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel: 011 2401 2048

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: **C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list**.